

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, लखीमपुर-खीरी।

JO Code UP 5743

प्रकीर्ण फौजदारी वाद संख्या 15 सन् 2026

कम्प्यूटर पंजीकरण संख्या 78 सन् 2026

CNR UPLP 0100 1233 2026

उमेश मिश्रा बनाम सरकार।

09.03.2026

1- पत्रावली पेश हुयी। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित उन्हें स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र पर सुना गया।

2- प्रार्थी द्वारा यह स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि सत्र वाद सं०-536/2022, मु०अ०सं०-230/2022, अं०धारा 302, 201, 120बी, 34 भा०द०सं० थाना धौरहरा, जनपद लखीमपुर खीरी न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं०-5, लखीमपुर खीरी मे लम्बित है, उसी वाद मे प्रार्थी की गिरफ्तारी से संबंधित सत्र वाद सं०-443/2022, मु०अ०सं०-239/2022, अं०धारा 307 भा०द०सं० व संबंधित सत्र वाद सं०-444/2022, मु०अ०सं०-240/2022, अं०धारा 3/25 भा०द०सं० सरकार बनाम उमेश मिश्रा न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं०-1, लखीमपुर खीरी मे लम्बित है, उपरोक्त सभी वाद एक दूसरे से संबंधित है। इसलिए सभी वादो को एक ही न्यायालय मे किए जाने की याचना की गयी हैं।

3- प्रार्थना पत्र के प्रकाश मे संबंधित न्यायालयो की आख्या आहूत की गयी, जिसका अवलोकन किया।

4- चूंकि सभी वाद एक दूसरे से संबंधित होना बताये गये है। इसलिए सभी वादो को एक ही न्यायालय द्वारा सुना जाना एवं निस्तारित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं०-1, लखीमपुर खीरी मे लम्बित सत्र वाद सं०-443/2022, सरकार बनाम उमेश मिश्रा मु०अ०सं० 239/2022, अं०धारा 307 भा०द०सं० थाना धौरहरा, सत्र वाद सं० 444/2022, मु०अ०सं०-240/2022, अं०धारा 3/25 भा०द०सं०

सरकार बनाम उमेश मिश्रा थाना धौरहरा तथा न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं०-5, लखीमपुर खीरी मे लम्बित सत्र वाद सं०-536/2022, मु०अ०सं०-230/2022, अ०धारा 302, 201, 120बी, 34 भा०द०सं० थाना धौरहरा, जनपद लखीमपुर खीरी सरकार बनाम आशीष गुप्ता आदि विधि अनुसार सुनवाई एवं निस्तारण हेतु रिकाल किए जाते है।

दिनांक-09.03.2026

(शिव कुमार सिंह)
जनपद न्यायाधीश,
लखीमपुर-खीरी।